उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

RBE No.121/2017
NCR PS No.5166/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-Flag Station Allowance

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-1 dated 05.09.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

16.x.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 57
RBE No. 121/2017

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-1 New Delhi, dated 05.09.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Flag Station Allowance.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to abolish Flag Station Allowance (Payable to Commercial Staff in charge of Flag Stations where Train passing duties are not involved) as a separate allowance. The eligible employees will now be governed by the newly proposed "Extra Work Allowance", which shall be governed as under:

a. Extra Work Allowance will be paid at a uniform rate of 2%(two percent) of the basic pay per month.
b. An employee shall receive this allowance for a maximum period of one year, and there should be minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.
c. This allowance shall not be combined i.e. if the same employee is performing two or more such duties and is eligible for 2%(two percent) allowance for each add-on, then the total Extra Work Allowance payable will remain capped at 2%(two percent) of basic pay.

2. These orders shall be effective from 1st July, 2017.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Anil Kumar
(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-1 New Delhi, dated 05.09.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBL-2017-1031
12-9-17

पीसी-VII सं. 57
आरबीई सं. 121 /2017

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-I/जनरल-1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - फ्लैग स्टेशन भत्ता।

******

भत्तों में संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति फ्लैग स्टेशन भत्ते (उन फ्लैग स्टेशनों जहां ट्रेन पासिंग ड्यूटियाँ शामिल नहीं होती हैं, के प्रभारी वाणिज्यिक कर्मचारियों को देय है) को अतिरिक्त भत्ते के रूप में समाप्त करते हैं। पात्र कर्मचारी अब नए प्रस्तावित "अतिरिक्त कार्य भत्ता" के तहत शासित होंगे, जिसे निम्नानुसार शासित किया जाएगा:

क. अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रति माह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) के समान दर से दिया जाएगा।

ख. किसी कर्मचारी को यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, और एक ही कर्मचारी को समान ड्यूटी पुनः देने में न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।

ग. इस भत्ते को संयुक्त न किया जाए यानि यदि एक ही कर्मचारी इस प्रकार की दो या उसे अधिक ड्यूटी कर रहा है और प्रत्येक ड्यूटी के लिए 2% (दो प्रतिशत) भत्ते का पात्र है, तो कुल अतिरिक्त कार्य भत्ता देय मूल वेतन का 2% (दो प्रतिशत) तक ही रहेगा।

2. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से जारी होंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
09 SEP 2017
महाप्रबन्धक सचिव

(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/जनरल-1 नई दिल्ली, दिनांक 05.09.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

Policy